न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98/2015

1 दिनदयाल पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढ़ाणी बजाडान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
2 मोहन पुत्र रूपाराम।
3 जगदीश पुत्र रूपाराम।
4 रामू पुत्र रूपाराम।
5 किशनलाल उर्फ बोदूराम पुत्र मोहन।
6 बिदामी पुत्री मोहन।
7 संतोष पुत्री मोहन।
8 शांति पुत्री मोहन।
9 रामचन्द्र पुत्र सोहन।
10 महेन्द्र पुत्र सोहन।
11 ताराचन्द पुत्र सोहन।
12 राजेन्द्र पुत्र सोहन।
13 लाडा देवी पत्नी सोहन।
14 परसाराम पुत्र कुशला।
15 नन्दलाल पुत्र कुशला।
16 चूकि देवी पत्नी परसाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 किशनी देवी पत्नी भंवरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बजाडान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 भगवानाराम पुत्र बोयताराम जाति जाट निवासी सेवदा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 शाखा प्रबन्धक शाखा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
20 शाखा प्रबन्धक सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा नेछवा जिला सीकर।
21 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
22 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री मुकदमा नम्बर 106/2013 दिनांक
29.06.2015 बउनवानी दीनदयाल बनाम श्रीमती भंवरी
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 30.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पैतृक खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 2.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 2.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/126 रकबा 3.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 5.85 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बजाड़ा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मे अवस्थित है जिसका पूर्व रिकार्डेड खातेदार खुद काबिज काश्तकार अपीलांट वादी का दादा रूपाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट रहे थे, जिनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 26 का नोट जमाबंदी संवत 2028 से 2031 पर अंकित किया जाकर खाता अपीलांट के पिता मोहन के दर्ज कर दिया गया। मोहन द्वारा अपीलांट की पैतृक कृषि भूमियो को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा करने पर अपने खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा निमित वादी द्वारा दावा संख्या 125/2007 पेश किया जो कालान्तर से सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय को अंतरिम किया जाकर नये बी.टी. नम्बर 106/2013 कायम किये गये। अपीलांट ने अपनी पैतृक कृषि भूमियों मे मोहन 1/9 हिस्से मे से खातेदारी मोहन के जीवन काल में हिस्सा 1/54,1/54 वादीगण द्वारा क्लेम की गई। उक्त वाद संख्या 106/2013 को विचारण न्यायालय द्वारा विधि व नियमो के विपरित जाकर दिनांक 29.06.2015 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने विवादित भूमियो को पैतृक कृषि भूमियां बताकर रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी की विवादित भूमियां के 1/54 हिस्से के खातेदार घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जिसका खण्डन करते हुये रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट वादीगण के हिस्से की भूमियां विक्रय हो जाने का कथन करते हुये दावा खारिज करने की प्रार्थना की पक्षकारो के बीच तथ्य सम्बंधित विवाद होने पर दिनांक 25.05.2010

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

को तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई तथा मौखिक साक्ष्य के लिये प्रकरण नियत था। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य प्राप्त नही कर कैम्प कोर्ट सुटोट में वादीगण की अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद साबित नही होने के आधार पर खारिज किया है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रयोजित न्याय आपके द्वार अभियान 2015 मे प्रकरणो का राजीनामे के आधार पर निर्णय करने हेतु निर्देश दिये हुये है। अनुपस्थित वादीगण के वाद खारिज करने का कोई विचारण न्यायालय को नही होते हुए भी वादीगण का वाद खारिज करना कतई कानून सम्मत नही है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण को सूचित किया जाकर पत्रावली लोक अदालत कैम्प में रखी गई थी। वादीगण उपस्थित नही थे। विचारण न्यायालय में गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमियो को पैतृक कृषि भूमियां बताकर रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी की विवादित भूमियां के 1/54 हिस्से के खातेदार घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जिसका खण्डन करते हुये रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट वादीगण के हिस्से की भूमियां विक्रय हो जाने का कथन करते हुये दावा खारिज करने की प्रार्थना की पक्षकारो के बीच तथ्य सम्बंधित विवाद होने पर दिनांक 25.05.2010 को तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई तथा मौखिक साक्ष्य के लिये प्रकरण नियत था। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य प्राप्त नही कर कैम्प कोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुटोट में वादीगण की अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद साबित नही होने के आधार पर खारिज किया है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रयोजित न्याय आपके द्वार अभियान 2015 मे प्रकरणो का राजीनामे के आधार पर निर्णय करने हेतु निर्देश दिये हुये है। अनुपस्थित वादीगण के वाद खारिज करने का कोई विचारण न्यायालय को नही होते हुए भी वादीगण का वाद खारिज करना कतई कानून सम्मत नही है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर